रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD- NO- D- L--33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2014/ज्येष्ठ 28, 1936
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2014/JYAISTHA 28, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 18 जून, 2014

सा.का.नि. 412(अ).—राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 09.05.2014 के सा.का.नि. 333(अ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना के संदर्भ में। उक्त अधिसूचना की अनुसूची के कॉलम 12 में दर्शाये गये विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) के प्रावधान को "हटा दिया" माना जाए।

[फा. सं. ए -35011/4/2009-एडी.ईडी]

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the18th June, 2014

G.S.R. 412(E).—Reference notification under G.S.R. 333(E) dated 9.5.2014 issued by Ministry of Finance, Department of Revenue. The provision of Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), appearing in column 12 of schedule of the said notification, may be treated as 'deleted'.

[F. No. A-35011/4/2009-Ad. ED]

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

2515 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AD

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014/वैशाख 16, 1936
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 मई, 2014

सा.का.नि 314(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969, को जहां तक कि उनका संबंध मुख्य प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में सहायक प्रवर्तन निदेशक, के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक प्रवर्तन निदेशक, भर्ती नियम, 2014 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना** – ये इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक प्रवर्तन निदेशक	250* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपये+ग्रेड वेतन 5400/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :		
वेतन बैंड-2 9300-34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में ऐसा प्रवर्तन अधिकारी	समूह 'ख' विभागीय	किसी अधिकारी की

जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और वेतन बैंड-2 9300-34,800 रु0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0 में ऐसा अधीक्षक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो । टिप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड के अधिकारियों द्वारा अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी जो संबंधित ग्रेड की परस्पर ज्येष्ठता तैयार करने के अध्यधीन होगी । टिप्पण : किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में प्रवर्तन अधिकारी या अधीक्षक में पात्र पदधारी के उपलब्ध न होने की दशा में रिकृति अगले भर्ती वर्ष में अनुपात को बनाए रखते हुए भरी जाएगी । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण -** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):** केंद्रीय सेवाओं या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या राज्य पुलिस संगठनों या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर के बैंकों के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) केंद्रीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतन बैंड-2, रु0 9300-34,800 + ग्रेड वेतन 4800 रुपए में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो या राज्य सरकार या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या पुलिस संगठनों या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर के बैंकों के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे हों ; और (ख) (i) विधि कार्य, आसूचना, अन्वेषण कार्य और वित्तीय या दंडिक विधियों से संबंधित न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों ; या (ii) बैंककारी या लेखा या लेखापरीक्षा में तीन वर्ष का अन्वेषणात्मक अनुभव रखते हों । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।	प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :- (I) प्रवर्तन निदेशक -अध्यक्ष (II) विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक -सदस्य (III) उप सचिव या निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय-सदस्य	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. ए-12018/7/2012-एडी.ईडी]

बृज मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2014

G.S.R. 314 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Class I and Class II posts) Recruitment Rules 1969, so far as it relates to post of Chief Enforcement Officer, Director of Enforcement, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of the post of Assistant Director of Enforcement in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director of Enforcement , Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the post specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .–** The number of the said posts, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. –** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification .-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax .–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings .–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director of Enforcement.	250* (2014) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	PB-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.5400/-	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable.	60 percent by promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract). 40 percent by deputation (Including Short-Term Contract)

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruits.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Enforcement Officer in the Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4800 with two years regular service in the grade and Superintendent in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600 with three years' regular service in the grade. Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the qualifying service in the respective grade subject to making inter-se seniority of respective grade. Note : The vacancy shall be filled in case eligible incumbent in Enforcement Officer or Superintendent is not available in a particular recruitment year maintaining the ratio in next recruitment year . Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note:** For the purpose of computing minimum qualifying service for	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion):- (i) Director of Enforcement-Chairperson (ii) Special or Additional Director of Enforcement-Member (iii) Deputy Secretary or Director, Department of Revenue, Ministry of Finance-Member	Consultation with Union Public Service Commission : Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contact)

1889 GI/14-2

promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Deputation : (Including Short-Term Contract) Officers of Central Services or Central Bureau of Investigation or State Police Organizations or Reserve Bank of India or Public Sector Banks: (A) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in PB-2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4800 for officers of Central Services or for other officers from State Government or Central Bureau of Investigation or Police organizations or Reserve Bank of India or Public Sector Banks with three years regular service drawing equivalent pay in the parent cadre or Department; and (B) (i) Having experience of at least three years in the field of Legal work, Intelligence, Investigation work and adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws: or (ii) Possessing investigative experience of three years in Banking or Accounts or Audit. The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short–Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note; For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. .A-12018/7/2012-Ad.ED]
BRIJ MOHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054